संख्या– 5503/1–10–2008–4(3)/2008

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सुल्तानपुर।

राजस्व अनुभाग –10 लखनऊः दिनांक 19 नवम्बर, 2008

विषय :– वर्ष 2006–07 में विकास खण्ड बल्दीराय में गोमती नदी की कटान से पिपरी सम्पर्क मार्ग की सुरक्षात्मक कार्य हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2181/मु0रा0ले0–आपदा, दिनांक 30 अगस्त, 2008 के क्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2006–07 में विकास खण्ड बल्दीराय में गोमती नदी की कटान से पिपरी सम्पर्क मार्ग की सुरक्षात्मक कार्य के भुगतान हेतु रू0 5,00,000/– (रूपये पांच लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03 –राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या–जी.आई.–134/1–11–2007– 46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित राहत की विभिन्न मदों में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल वर्ष 2006–07 में विकास खण्ड बल्दीराय में गोमती नदी की कटान से पिपरी सम्पर्क मार्ग की सुरक्षात्मक कार्य के भुगतान हेतु व्यय की जायेगी। **जिलाधिकारी जॉच रिपोर्ट का परीक्षण अपने स्तर से करते हुए तथा स्वयं संतुष्ट होते हुए यदि धनराशि के भुगतान का औचित्य पाया जाय तो सम्बन्धित विभाग को धनराशि अनिवार्य रूप से दिनांक 22.11.2008 तक भुगतान करें तथा कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना/आख्या शासन को भी अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

AIII-08

5. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय–विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें संभावित हों तो उन्हें दिनांक 25.11.2008 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुए वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दिया जाए।

7. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

8. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

9. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या –5503(1)/1–10–2008–4(3)/2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, फैजाबाद।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, सुल्तानपुर।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु/राजस्व अनुभाग –6/11
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
उप सचिव

Allt-08